न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 89 / 2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 462, दिनांक– 21.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि 1. बलदेव मुर्मू, पिता– स्व0 जुमू मुर्मू, 2. सुखलाल मुर्मू, पिता– छुटु मुर्मू, 3. फुलमनी देवी, पिता– स्व0 पायो मांझी, 4. बाबुलाल मुर्मू, पिता– छुटु मुर्मू, 5. रासमुनी देवी, पिता– स्व0 नुनूलाल मांझी, सभी साकिम– सुसनीलेवा, थाना– बरवाअड्डा, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– भेलाटांड़, मौजा नं0– 89, पुराना खाता नं0– 84, पुराना प्लॉट सं0– 491 एवं 492, नया खाता सं0– 79, नया प्लॉट सं0– 502, रकवा– 4.74 डिसमील एवं नया खाता सं0– 259, नया प्लॉट सं0– 501, रकवा– 4.84 डिसमील भूमि क्रेता सुगिया मोहलीन, पिता– स्व0 जगु मोहली, पति– छेदीलाल मोहली, साकिम– मनईडीह, पो0– तिलैया, थाना– बरवाअड्डा, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल है तथा दोनो एक ही थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 38.42 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:40:30 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner